

Budget 2022: India set for modest fiscal consolidation amid slow economic recovery

After Budget 2020 was blown apart in a couple of months by the onset of the coronavirus pandemic, Finance Minister Nirmala Sitharaman was fully prepared the next year, presenting a package focused on capital expenditure to pull the Indian economy out of the rut it found itself in.

The objective of the 2022 Budget—set to be presented on February 1—is not too dissimilar although some limiting factors have emerged. "The upcoming budget faces acute policy trade-offs between nurturing a nascent growth recovery and diminishing fiscal space with challenging debt dynamics," noted Madhavi Arora, lead economist at Emkay Global Financial Services.

A combination of

pandemic-related spending and a clean-up of its books saw the Union government's fiscal deficit balloon to 9.2



percent of gross domestic product (GDP) in fiscal year 2021. While this allowed the Centre to target a sharp reduction in the deficit to 6.8 percent next year, a similar pullback is not expected in fiscal 2023. According to a Moneycontrol survey of

10 economists, the Centre should meet its fiscal deficit target for fiscal 2022. And while some consolidation is expected in fiscal 2023, it is likely to be modest, with the median of economists' estimates suggesting the 2022 Budget will set a fiscal deficit target of 6.1 percent of GDP for the next financial year.

"We believe that policymakers will favour a gradual consolidation, which will be premised on continued tax buoyancy as economic growth improves and reduction in pandemic-related increase in revenue spending," Morgan Stanley economists said in a report on January 18. Aided by a favourable base effect, India's GDP is expected to grow 9.2 percent in fiscal

2022, decelerating to 7.6 percent in fiscal 2023, as per the Reserve Bank of India's (RBI) most recent survey of professional forecasters.

The Centre's tax collections have improved remarkably in fiscal 2022, with gross tax collections in April-November 2021 up a massive 50.3 percent year-on-year thanks to a low base and the ongoing economic recovery. On the whole, the Centre's receipts in the year could exceed the Budget estimate by as much as Rs 3 lakh crores. This would broadly match the net cash outgo as per the government's first and second supplementary demands for grants for the year. However, fiscal 2023 will be an entirely different ballgame.

Gen Naravane's legacy can only be understood over time. But it's altered LAC dynamics forever

Come April, General Manoj Mukund Naravane will retire as the 27th chief of the Indian Army. Only time will tell if the Narendra Modi government will appoint him as India's Chief of Defence Staff or not.

But one thing is for sure — Gen Naravane will leave behind a legacy that most will understand only with time.

As the Army chief, he worked without any fanfare or publicity, even though he was personally responsible for some key strategic and tactical decisions that will shape the Army's outlook in the coming years.

Gen Naravane's tenure has been an action-filled one. From the ongoing standoff with China along the Line of Actual Control (LAC) to the reiteration of the ceasefire at the Line of Control (LoC) with Pakistan, from rewriting of the Order of Battle (ORBAT) to focusing on conventional warfare rather than just counter-terrorism operations, his tenure as Army chief has seen it all, including focused modernisation.

Gen Naravane has been both a dove and a hawk, depending on the issue. This was because, at the end of the day, he was, and is, a "quintessential Army man" — a term I used to describe him in a profile I did when he took over as the Army chief on 31 December 2019.

He took over from his antithesis Gen Bipin Rawat, who spoke freely at the cost of being accused by many of going beyond the realm of the Army chief at times.

Immediately after taking over, Gen Naravane held his first press conference on the occasion of Army Day, which is celebrated on 15 January. He was asked by a journalist if he agrees with Gen Rawat's statement on the students' protests against the Citizenship (Amendment) Act (CAA). Gen Naravane said the Army's role is to "uphold the core values" of the Constitution.

"We respect the fundamental rights of the citizens. If we remember this, then we will not go wrong in the discharge of our duties. We are an Army of the people and for the people, and whatever we do, will be for them," he had said. He underlined that the armed forces owe their allegiance to the Constitution of India and fight to protect the core values of justice, equality and fraternity enshrined in the Preamble.

'बुली बाई' ऐप मामला: अदालत ने तीन आरोपियों को जमानत देने से इनकार किया

मुंबई- मुंबई की एक अदालत ने 'बुली बाई' ऐप से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों की जमानत याचिकाओं को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया। इस ऐप में मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें डालकर उन्हें निशाना बनाया गया था। तीन आरोपियों में विशाल कुमार झा, श्वेता सिंह और मर्याद गवत शामिल हैं। मुंबई पुलिस के साइबर प्रक्रोच ने अप्रैल (१८) और रावत (२१) को पांच जनवरी को उत्तराखण्ड से गिरफ्तार किया था जबकि झा को चार जनवरी को बैंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था। उपनगरीय बांदा में एक



नहीं हो सका है। इससे पहले, पुलिस ने उनकी जमानत का विरोध करते हुए दावा किया था कि आरोपियों ने अपने सांशल मीडिया अकाउंट संचालित कर रखे थे। साइबर प्रक्रोच ने कहा है कि अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने वाले कई खातों को हटा दिया गया था जिनमें अभी जनकारी जुटानी है। मुंबई पुलिस ने कई उन महिलाओं की शिकायतों के बाद प्राथमिकी दर्ज की, जिन्हें 'बुली बाई' ऐप में निशाना बनाया गया था।

बीएमसी ने उच्च न्यायालय से कहा, मुंबई में कोविड की स्थिति नियंत्रण में

मुंबई- बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने बुधवार को बृहन्मुंबई उच्च न्यायालय को सूचित किया कि शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों



में कोविड-१९ की मौजूदा स्थिति 'नियंत्रण में' है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की पीठ को वरिष्ठ अधिकारी अनिल साखरे ने सूचित किया कि मुंबई में कोरोना वायरस की मौजूदा तीसरी लहर में मामलों में धीरे-धीरे गिरावट देखी जा रही है। साखरे ने पीठ को

यह भी बताया कि १५ जनवरी तक उपलब्ध अंकड़ों के अनुसार, शहर में संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या ८४,३५२ थीं जिनमें से सात प्रतिशत रोगियों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ी और तीन प्रतिशत को ऑक्सीजन सपोर्ट और ०.७ फीसदी को वॉटिलर की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने नगर निकाय की ओर से एक विस्तृत नोट पेश किया जिसमें इलाजरत मरीजों की संख्या, ऑक्सीजन की आपूर्ति, दवाओं के स्टॉक, अस्पतालों में उपलब्ध विस्तर आदि का विवरण है। साखरे ने कहा, "हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति है, अस्पताल में विस्तर उपलब्ध हैं। घबराने की कोई वजह नहीं है।" पीठ ने तब पूछा कि क्या नगर निकाय कर रहा है कि मुंबई में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है? जिस पर वरिष्ठ अधिकारी ने हाँ में जवाब दिया।

उन्होंने कहा, 'यह नागिरकों के मौलिक अधिकार पर लगाई गई तर्कसंगत पांचदंदी है और ऐसी पांचदंदी व्यापक जनहित खासकर उनके अपने ही फायदे के लिए लगाई गई है।' वह मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की पीठ के

हाँ में जवाब दिया।

जनहित याचिका पर अंतिम सुनवाई कर रही थी जिसमें स्थानीय ट्रोनों में बिना कोविड-१९ टीकाकरण वाले यात्रियों की यात्रा पर लगाई गई पांचदंदी को चुनौती दी गई है।

संरक्षित समुद्री जीवों को समुद्र में छोड़ने पर मछुआरों को ४० लाख रुपये का मुआवजा

मुंबई- महाराष्ट्र के तटवर्ती जिलों में मछुआरों को पिछले तीन वर्षों में ओलिव रिडले और हैंसमुद्री कछुओं समेत २६० संरक्षित समुद्री जीवों को वापस समुद्र में छोड़ने पर मुआवजे के रूप में ४०.७८ लाख रुपये दिए गए हैं। एक आधिकारिक विश्वित में यह जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि ये जीव



इन मछुआरों के मछली पकड़ने के जाल में फंस गए थे। इस मुआवजे का भागान राज्य के बन विभाग और मत्स्य पालन विभाग द्वारा दिसंबर २०१८ में संयुक्त रूप से शुरू की गई योजना के तहत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य दुर्बंध प्रजाति के समुद्री जीवों का संरक्षण करना है। विश्वित में बताया अब तक १३८ ओलिव रिडले कछुए, ६७ हरे समुद्री कछुए, पांच हैंस्किल बैल कछुए, ३७ डिवर शाक, छह विशाल गिटार फिश, चार फिनलेस पारपोइंज समेत अन्य जीव वापस

मुआवजे के मुख्यमंत्री उद्भव ठाकरे ने यहां एक कार्यक्रम के दौरान बृहस्पतिवार को कहा कि मैंनें बैल को वापस दिया है, जिन्होंने समुद्री जीवों का वापस

समानता एवं स्वतंत्र आवाजाही के अधिकार का उल्लंघन है। अंतुकार ने अदालत से कहा, 'महाराष्ट्र ने (महामारी की) पहली लहर के दौरान चिकित्सकीय ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई मौतों से भारी नुकसान उठाया। इसलिए हम इस बार अधिक सावधानी बरतना और मामलों को न्यूनतम करने के लिए यथासंभव एहतियात बरतना चाहते हैं।'

उन्होंने कहा कि वैसे तो टीकाकरण से पूर्ण प्रतिरक्षा की गारंटी नहीं मिल सकती है लेकिन यह अस्पताल में भर्ती और मौत को रोकने की दिशा में एक कदम है, इसलिए किसी भी अतिरिक्त आक्रियिक स्थिति से बचने के लिए ट्रेन में यात्रा पार बांदी लगायी गयी है। याचिकाकर्ताओं के वॉकीलों ने नीतेश ओझा और तनवीर निजाम ने दर्दील दी थी कि यह समझने वाले लहरी लगायी गई अधिसूचना अवैध, मनमानीपूर्ण एवं

समानता एवं स्वतंत्र आवाजाही के अधिकार का उल्लंघन है। अंतुकार ने अदालत से कहा, 'महाराष्ट्र ने (महामारी की) पहली लहर के दौरान चिकित्सकीय ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई मौतों से भारी नुकसान उठाया। इसलिए हम इस बार अधिक सावधानी बरतना और मामलों को न्यूनतम करने के लिए यथासंभव एहतियात बरतना चाहते हैं।'

उन्होंने कहा कि वैसे तो टीकाकरण से पूर्ण प्रतिरक्षा की गारंटी नहीं मिल सकती है लेकिन यह अस्पताल में भर्ती और मौत को रोकने की दिशा में एक कदम है, इसलिए किसी भी अतिरिक्त आक्रियिक स्थिति से बचने के लिए ट्रेन में यात्रा पार बांदी लगायी गयी है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इस महामारी से निष्ठने की केंद्र सरकार की 'शारीरी योजना' में टीकाकरण एवं गैर टीकाकरण जैसा कोई भेदभाव नहीं है।

जनहित याचिका पर अंतिम सुनवाई कर रही थी जिसमें स्थानीय ट्रोनों में बिना कोविड-१९ टीकाकरण वाले यात्रियों की यात्रा पर लगाई गई पांचदंदी को चुनौती दी गई है।

जनहित याचिका पर अंतिम सुनवाई कर रही थी जिसमें उपनगरीय ट्रोनों में बिना कोविड वैक्सीनेशन नहीं करवाने वाले लोगों के उपनगरीय ट्रोनों से यात्रा करने पर रोक कानून सम्मत और तर्कसंगत है। सरकार के वॉकील अनिल अंतुकार ने कहा कि वैसे तो एक अधिकारी ने अनुच्छेद १९ (१) (डी) के तहत स्वतंत्र रूप से आने-जाने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है लेकिन यह महामारी के मद्देनजर तर्कसंगत है। सरकार के वॉकील अधिकार पर लगाई गई गैर तर्कसंगत पांचदंदी है और ऐसी पांचदंदी व्यापक जनहित खासकर उनके अपने ही फायदे के लिए लगाई गई है। वह मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता और तनवी

